3602
30/10/19

(43)

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः– "Value Based Multi & skill Development Training in Agriculture and Allied Sectors linked with National Institute Of Open Schooling/University Education & Follow-up Program for improving Livelihood of Rural People" परियोजना के क्रियान्वयन एवं उपबंधित राशि के व्यय करने हेतु रामकृष्ण मिशन आश्रम मोरहाबादी, राँची के मनोनयन के संबंध में।

झारखण्ड राज्य की कुल आबादी 3.29 करोड़ है जिसमें अनुसूचित जनजातियों की आबादी 26.2 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की आबादी 12.08 प्रतिशत एवं अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 19.12 प्रतिशत है। झारखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भर है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को कृषि एवं कृषि आधारित प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षित करते हुए स्वरोजगार से जोड़ा जाय।

2. **रामकृष्ण मिशन आश्रम का संक्षिप्त परिचयः**–झारखण्ड राज्य के राँची जिले में अवस्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम का गठन 1927 में श्रीमत् स्वामी विशुद्धनान्दाजी महाराज द्वारा किया गया है। 1969 से रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा दिव्ययान–समेकित ग्रामीण विकास का मॉडल का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आश्रम द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य न केवल युवाओं का कौशल विकास करना है अपितु उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना तथा ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय सेवा संगठन बनाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। 1969 से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों यथा शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहयोग से रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 से जनजातीय कार्य मंत्रालय से NGO Support योजना अंतर्गत रामकृष्ण मिशन आश्रम को वित्तीय सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके फलस्वरूप आश्रम को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने में वित्तीय अड़चन आ रही है। उक्त के आलोक में विभाग द्वारा इस परियोजना के अन्तर्गत रामकृष्ण मिशन आश्रम को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाना है।

3. **परियोजना का मुख्य उद्देश्यः–**

- लक्षित वर्ग के युवाओं को कृषि एवं कृषि आधारित प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षित करते हुए आत्मनिर्भर बनाना।
- प्रशिक्षणोंपरांत युवाओं को स्वरोजगार के साधन मुहैया कराना तथा ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षित युवाओं को आय–संवर्धन हेतु ऑफ–कैंपस तकनीकि सहयोग उपलब्ध कराना।

- प्रशिक्षित युवाओं का ग्राम स्तरीय/संकुल स्तरीय/प्रखंड स्तरीय सेवा संगठन बनाते हुए सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना ताकि आजीविका के संसाधनों को और ज्यादा सवंर्धित किया जा सके।
- परियोजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों युवाओं को माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा आदि हेतु National Institute Of Open Schooling से जुड़ाव।

4. **लक्षित वर्गः–** 18–40 वर्ष के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवा।

5. **प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अवधिः–**

क्र० सं०	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण अवधि
1	2	3
1	जैविक खेती एवं बीज उत्पादन	3 माह
2	हॉर्टिकल्चर, बागवानी एवं माली प्रशिक्षण	3 माह
3	मुर्गी–सह–बत्तक पालन	3 माह
4	डेयरी	3 माह
5	मत्स्य पालन	3 माह
6	Soil टेस्टिंग	3 माह
7	पंप रिपेयरिंग	3 माह
8	जैविक खाद का उत्पादन	1.5 माह
9	खाद्य–प्रसंस्करण	1.5 माह
10	मशरूम की खेती	1.5 माह
11	मधुमक्खी पालन	1.5 माह
12	कारपेंटरी	6 माह
13	वेल्डिग	6 माह
14	इलेक्ट्रीशियन	6 माह
15	उपरोक्त गतिविधियों पर सुपरवाइजर/एडवांस सुपरवाइजर का प्रशिक्षण	6–12 माह

6. **परियोजना हेतु वित्तीय प्रावधान एवं परियोजना राशि का हस्तांतरणः–** परियोजना की प्रावधानित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड होंगे। रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोरहाबादी, राँची द्वारा विभाग को हर वर्ष परियोजना से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव का मूल्यांकन विभाग द्वारा निम्नरूपेण गठित समिति द्वारा किया किया जाएगा। स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष सभी वर्गो यथा अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए अधिकतम रू० 75.00 लाख (पचहत्तर लाख रुपये) राशि रामकृष्ण मिशन आश्रम को दी जाएगी।

समिति की संरचनाः–

अध्यक्ष : आदिवासी कल्याण आयुक्त

सदस्य सचिव : उप निदेशक, आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय

सदस्य : विभागीय संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी

7. **परियोजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–** उपरोक्त गठित समिति द्वारा परियोजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाएगा। परियोजना से सम्बंधित त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा आदिवासी कल्याण आयुक्त के कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा उक्त योजना से संबंधित प्रस्ताव पर विभागीय सचिव से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

8. Value Based Multi & skill Development Training in Agriculture and Allied Sectors linked with National Institute Of Open Scholarship/University Education & Follow up Program for improving Livelihood of Rural People" परियोजना का क्रियान्वयन रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोरहाबादी, राँची द्वारा वित्तीय नियमावली के नियम 235 को क्षांत करते हुए नियम 245 के तहत मनोनयन के आधार पर 03 (तीन) वर्ष के लिए नामित करते हुए किया जाएगा। जिसकी अवधि कार्य की गुणवत्ता एवं प्रदर्शन के आधार पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा 02 (दो) अतिरिक्त वर्षो के लिए बढ़ाई जा सकती है।

9. मनोनयन की 3 (तीन) वर्षों की अवधि में उक्त योजना पर रु० 75.00 लाख (पचहत्तर लाख रूपये) प्रति वित्तीय वर्ष के दर से रु० 225.00 लाख (दो करोड़ पच्चीस लाख रूपये) का वित्तीय भार पड़ेगा।

10. परियोजना का वित्तीय संपोषण वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में आयवृद्धि एवं आजीविका विकास योजनान्तर्गत निम्नवत् प्रावधानित कुल रू० 650.00 लाख (छः करोड़ पचास लाख रूपये) हैः–

क्रं०	वर्ग	आय–व्ययक शीर्ष	प्रावधानित राशि (लाख रू० में)
1	अल्पसंख्यक	मांग सं०–30, मुख्य शीर्ष–4225, उप मुख्य शीर्ष–80, लघु शीर्ष–277, उप शीर्ष–14, विस्तृत शीर्ष–06, इकाई – 49, विपत्र कोड–30S422580277140649	25.00
2		मांग सं०–30, मुख्य शीर्ष–4225, उप मुख्य शीर्ष–80, लघु शीर्ष–796, उप शीर्ष–14, विस्तृत शीर्ष–06, इकाई – 49, विपत्र कोड–30S422580796140649	25.00
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	मांग सं०–51, मुख्य शीर्ष–2225, उप मुख्य शीर्ष–03, लघु शीर्ष–277, उप शीर्ष–65, विस्तृत शीर्ष–06, इकाई – 49, विपत्र कोड–51S222503277650649	100.00
4		मांग सं०–51, मुख्य शीर्ष–2225, उप मुख्य शीर्ष–03, लघु शीर्ष–796, उप शीर्ष–65, विस्तृत शीर्ष–06, इकाई – 49, विपत्र कोड–51S222503796650649	100.00
5	अनुसूचित जनजाति	मांग सं०–51, मुख्य शीर्ष–2225, उप मुख्य शीर्ष–02, लघु शीर्ष–796, उप शीर्ष–91, विस्तृत शीर्ष–06, इकाई – 49, विपत्र कोड–51S222502796910649	300.00
6	अनुसूचित जाति	मांग सं०–51, मुख्य शीर्ष–2225, उप मुख्य शीर्ष–01, लघु शीर्ष–789, उप शीर्ष–87, विस्तृत शीर्ष–06, इकाई – 49, विपत्र कोड–51S222501789870649	100.00
		कुलः–	**650.00**

(40)

11. उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय नियमावली के नियम–235 को क्षांत करते हुए नियम–245 के तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोरहाबादी, राँची को मनोनयन के आधार पर 3 (तीन) वर्षों के लिए नामित करने के प्रस्ताव पर मद संख्या–21 दिनांक– 25.10.2019 द्वारा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

30/10/19

(हिमानी पाण्डे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–03/आयवृद्धि एवं आजीविका विकास–02/2019 3602 रांची, दिनांक– 30/10/19

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित कि झारखण्ड गजट के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाए। साथ ही 50 अतिरिक्त प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाए।

30/10/19

(हिमानी पाण्डे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–03/आयवृद्धि एवं आजीविका विकास–02/2019 3602 राँची, दिनांक– 30/10/19

प्रतिलिपि– सभी अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी प्रधान सचिव, झारखण्ड/सभी सचिव, झारखण्ड/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड/सभी प्रमंण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी परियोजना निदेशक, ITDA/सभी उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,/विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण, साहेबगंज एवं दुमका/सचिव, रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोरहाबादी, राँची/विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

30/10/19

(हिमानी पाण्डे)
सरकार के सचिव।